(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 51/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 18 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी, दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के अंतर्गत रूस और तुर्की (जिन्हें एतश्मिन पश्चात विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु के रूप में संबोधित किया गया) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2836 20 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले परिपाटन शुल्क को बनाए रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उपधारा (5) के संबंध में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. सं. 258(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लागू किया गया था,की मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, में दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/17/2015-डीजीएसी दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

i. तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जांच की अवधि (इसके पश्चात् जिसे पीओआई के रूप में संबोधित किया गया है) के दौरान धनात्मक है, इसलिए घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमतों और लाभ प्रदाता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के पश्चात नहीं है।
ii. अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग दोनों पीओआई तथा पीओआईके पश्चात ऋणात्मक हैं।
iii. पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।
iv. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अन्य देशों के निर्यात की आधार कीमतों पर संभावित क्षति मार्जिन भी ऋणात्मक है ।
v. कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी का प्रभाव नहीं है ।
vi. घरेलू उद्योग के लगभग सभी मात्रा प्राचल और कीमत प्राचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात धनात्मक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

vii. तथापि पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उद्योग क्षति का कारण है ओर न ही पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संभावित क्षति का कारण हैं ।

और संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहां, उक्त 23 सितम्बर, 2016 के अंतिम निष्कर्षो को विशेष सिविल आवेदन 16426 और 16428 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के आदेश में यह कहा है कि यदि नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादित व अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने भारत सरकर, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 08/2013 –सीमा शुल्क (एडीडी) , दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा0का0नि0 258 (अ) दिनांक 18 अप्रैल, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, को अधिसूचना सं0 56/2016 –सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 जिसे सा0का0नि0 1164 (अ) के द्वारा निरसित कर दिया गया था और ऐसे निरसन करने वाली अधिसूचना को स्पेशल सिविल एप्लीकेशन में 16426 और 16428 में विशेष सिविल आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रखा गया था ।

और अत: माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने दिनांक 23 फरवरी, 2016 के अपने सामान्य निर्णय द्वारा दिनांक 14 सित्तम्बर, 2016 के प्रकटन विवरणों को 23 सितम्बर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों के साथ-साथ नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई परवर्ती अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्यवाही को बहाल करने के साथ-साथ उन्हें यह भी निर्देश दिये थे कि वे संबद्ध सांविधिक प्रावधानों के समनुरूप और निर्णय में किएगए प्रेक्षणों के आलोक में नए प्रकटन विवरण जारी करें ।

और अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 25 अप्रैल, 2017 को अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की थी और हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था । साथ ही हितबद्ध पक्षकारों को लिखित निवेदन प्रस्तुत करने और उसके बाद अन्य हितबद्ध पक्षकरों द्वारा उन पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था

जहां कि नामित अधिकारी ने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर भारत सरकर, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 08/2013 –सीमा शुल्क (एडीडी) , दिनांक 18 अप्रैल, 2013, के तहत सा0का0नि0 258(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और प्रतिपाटन शुल्क की नियमावली के नियम 23 के अुनपालन में, 22 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी , दिनांक 22 जुलाई, 2017 में मध्यावधि समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों को जारी किया, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहां, उक्त 22 जुलाई, 2017 के अंतिम निष्कर्षो को विशेष सिविल आवेदन, 2017 का 14202 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2017 के आदेश में यह कहा है कि यदि नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादित व अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0 56/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के अधिग्रहण में केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2013-सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 जो भारत के राजपत्र असाधारण,भाग ।। खंड-3, उपखंड (i) में जिसे सा.का.नि. 258(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित को भारत के राजपत्र असाधारण,भाग ।। खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, करती है और ऐसा निरसन 2017 के 14202 विशेष सिविल आवेदन में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रहेगा ।

[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार